<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 18.04.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।</u>

<u>प्रकरण में थाना मोहम्मदी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर ई-रिक्शा को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।</u>

<u>जिलाधिकारी खीरी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में तहसील सदर में "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया गया</u>

आज दिनांक 18.04.2026 को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल व पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा तहसील सदर पर उपस्थित रहकर "संपूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

<u>थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राजेश पुत्र गोबरे को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धौरहरा के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष ईसानगर के नेतृत्व में आज दिनांक 18.04.2026 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा केस- 1577-22 मीना बनाम राजेश धारा 128 सीआरपीसी में वारण्टी राजेश पुत्र गोबरे नि0 ईशापुर थाना ईसानगर जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-</u>

1. राजेश पुत्र गोबरे नि0 ईशापुर थाना ईसानगर जिला खीरी को गिरफ्तार

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अनिल वर्मा थाना ईसानगर जनपद खीरी ।

2.का0 सिव कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी ।

3.का0 जितेन्द्र कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी ।

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत थाना मैगलगंज पुलिस मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा, सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मैगलगंज के नेतृत्व में आज दिनांक- 18.04.2026 को थाना मैगलगंज की एण्टीरोमियो टीम द्वारा, कस्बा मैगलगंज चौराहे पर आने जाने वाली महिलाओ पर टिप्पणी करने वाले एक अभियुक्त विद्यासागर पुत्र रामदीन निवासी ग्राम तालसागर थाना उचौलिया जिला खीरी को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 296 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विद्यासागर पुत्र रामदीन निवासी ग्राम तालसागर थाना उचौलिया जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0श्री शुभम कुमार थाना मैगलगंज खीरी
2.का0 रवि कुमार थाना मैगलगंज खीरी
3.म0का0 सोनी माथुर थाना मैगलगंज खीरी।

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 49/2026 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गये 2500/- रूपये, एक अदद गैस सिलेण्डर व एक अदद स्प्रे मशीन बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष सम्पूर्णानगर के नेतृत्व में आज दिनांक 18.04.2026 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 49/2026 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1. गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम मिर्चिया थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी 2.रविन्दर सिंह उर्फ टीट पुत्र गुरनाम सिंह निवासी मिर्चिया थाना सम्पूर्णानगर जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद गैस सिलेण्डर, एक अदद स्प्रे मशीन व 2500 रु नगद बरामद किये गये । अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम मिर्चिया थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

2.रविन्दर सिंह उर्फ टीट पुत्र गुरनाम सिंह निवासी मिर्चिया थाना सम्पूर्णानगर जिला खीरी

बरामदगी -

1. एक अदद स्प्रे मशीन
2. एक अदद गैस सिलेण्डर भारत कम्पनी
3. 2500 रूपये भारतीय

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जसवन्त सिंह-

1. मु0अ0स0 117/2025 धारा 115 (2)/351(2) BNS थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2. मु0अ0स0 149/2025 धारा 115 (2)/352/351 (2) BNS थाना हजारा जनपद पीलीभीत
3. मु0अ0स0 41/2026 धारा 60 (1) EX ACT थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
4. मु0अ0सं0 49/2026 धारा 305/331 (4)/317 (2) BNS थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रविन्दर सिंह उर्फ टीटू पुत्र गुरनाम-

1.मु0अ0सं0 49/2026 धारा 305/331 (4)/317 (2) BNS थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अमरपाल सिंह थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2. का0 पुष्पेन्द्र थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
3. का0 उमेश वर्मा थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

4. का0 रोहित भास्कर थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी